न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 29/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/115

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट :–
कमलकान्त पुत्र श्री कैलाशचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी हर्वो की हवेली, गाय गली, पुंगल पाड़ा, जिला जोधपुर (राज.)		1. ज्योति पुरोहित पत्नी राजेश पुरोहित, जाति ब्राह्मण, मकान संख्या 23 बी 93, कॉलोनी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, शहर जोधपुर (राज.) 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट स्वयं

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 11.08.2025

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2509 दिनांक 05.05.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट स्वयं वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 बाद तामिल वक्त बहस बार–बार आवाजे दिलाये जाने के बावजूद न्यायालय समय में अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का सरहद मौजा राजस्व ग्राम भांगेसर, पटवार हल्का भांगेसर, तहसील पाली के खसरा संख्या 119/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में से 1/3 अर्थात् 1.6187 हैक्टेयर हिस्सा व खसरा संख्या 119/2 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम खातेदारी की भूमि स्थित है। अपीलार्थी द्वारा सरहद मौजा ग्राम भांगेसर, पटवार हल्का भांगेसर तहसील पाली के खसरा संख्या 119/2 कुल रकबा 0.6070 की सम्पूर्ण भूमि व खसरा संख्या 119/1 में अपने खातेदारी के 1/3 हिस्से अर्थात् रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से रकबा 0.5264 हैक्टेयर भूमि का खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ज्योति पुरोहित पत्नी श्री राजेश पुरोहित, जाति ब्राह्मण, निवासी 23 बी 93, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर जिला जोधपुर को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 05.05.2025 द्वारा बेचान कर दिया। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के विपरीत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2509 दिनांक 05.05.2025 स्वतः स्वीकृत हुआ जिसमें तकनीकी खामियों की वजह से उक्त जैर नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम विक्रय किये गये खसरा संख्या 119/1 में से 0.5264 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा संख्या 119/1 के सम्पूर्ण रकबा अर्थात् 1.6187 का ही अंकन रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम हो गया जो कि विधि विरूद्ध है जो कि काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार फरमाकर जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। प्रकरण में श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.05.2025 से अपीलाण्ट क्रेतागण द्वारा विक्रेता रेस्पो. संख्या 01 ज्योति पुरोहित को ग्राम भांगेसर तहसील पाली का खसरा संख्या 119/2 रकबा 0.6070 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 119/1 के कुल रकबे 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 0.5264 हैक्टेयर का बेचान किया जबकि विक्रय से दर्ज स्वतः नामान्तरकरण में खसरा संख्या 119/1 के सम्पूर्ण रकबा 4.8562 हैक्टेयर रेस्पो. संख्या 01 के नाम दर्ज हो गया, जो प्रथम–दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ प्रतीत होता है व विक्रय–पत्र के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं होना स्पष्ट है जो प्रथम–दृष्ट्या ही तथ्यात्मक त्रुटि है एवं उक्त संबंध में रेस्पो. संख्या 01 ने अपनी सहमति भी व्यक्त की है।

अतएव जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2509 दिनांक 05.05.2025 जो स्वतः स्वीकृत नामान्तरकण से दर्ज हुआ है उसे अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में रेकर्ड यथा हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.05.2025 की जांच कर एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार, पाली को प्रेषित की जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2025 को प्रस्तुत हो एवं अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **11.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली